

8/1/2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू कैम्प...राजोली

क्रमांक: राजस्व / 2021 /

दिनांक : / / 2021

आदेश

आवेदक श्री... देवना(पुत्र) ने तहसील कोटखावदा में ग्राम... रिकुपुरा स्थित आराजी ख.न... रकबा... के संबंध में जमाबन्दी सम्वत्... 2073-76 के खाता संख्या 49, 50, 69 पर अंकित प्रविष्टि दुरुस्त कराने हेतु आवेदन पेश किया। पटवारी हल्का द्वारा जाँच की जाकर ग्राम... की जमाबन्दी के खाता संख्या 49, 50, 69 की प्रविष्टि के स्थान पर... देवना(पुत्र) पुत्र श्री नारायण... किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार कोटखावदा द्वारा भी अपनी रिपोर्ट के अनुसार जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टि दुरुस्त करने की अभिशंषा की है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पटवारी हल्का... राजोली की रिपोर्ट व तहसीलदार कोटखावदा की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी श्री... देवना(पुत्र) पुत्र श्री... श्री नारायण जाति... गुर्जर निवासी... रिकुपुरा तहसील कोटखावदा के आवेदन पर जमाबन्दी सम्वत्... 2073-76 के खाता संख्या 49, 50, 69 में अंकित प्रविष्टि देवा... के स्थान पर... देवना(पुत्र) पुत्र श्री नारायण

किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)
दिनांक : / / 2021

क्रमांक: राजस्व / 2021 /

प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ प्रेषित है-

- 1. तहसीलदार कोटखावदा
- 2. पटवारी हल्का राजोली

शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)